30/1/19 पत्रावली पेश हुई। वादीगण स्वयं अथवा अधिवक्ता वादीगण उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय समय मे बार-बार आवाजे लगवाई गई परन्तु वादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही हुए। न्यायालय मे उपस्थित होने बाबत पूर्व मे अवसर भी दिया जा चुका है। वादीगण अथवा उनके अधिवक्ता कार्यवाही नही की जा रही है जिससे न्यायालय का अनावश्यक समय जाया हो रहा है। अतः यह वाद इसी स्टेज पर अदम पैरवी/अदम हाजरी मे खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो। निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया है।

सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ
जिला-राजसमन्द

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) कुम्भलगढ जिला राजसमन्द